राष्ट्रीय समाचार पत्र

जनोदय पंच

बेखौफ, बेधड़क सच

डिजीटल संस्करण
RNI No. MPHIN/25/A2500
www.janodaypunch.com

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, खरगोन से प्रसारित

इंदौर-बड़वानी से प्रकाशित | मंगलवार, 10 मार्च 2026 | कीमत : 1 रुपए



अंजड़ में पुराने केस में फंसाने की धमकी, 50 हजार मांगने वाले पुलिसकर्मी लोकायुक्त के हत्थे चढ़े

बड़वानी के अंजड़ में रिश्वत कांड, लोकायुक्त ने एएसआई और आरक्षक पर दर्ज किया मामला

रमन बोरखड़े, बड़वानी

बड़वानी जिले के अंजड़ थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक और एक आरक्षक के खिलाफ लोकायुक्त इंदौर ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पुराने आत्महत्या मामले में फंसाने की धमकी देकर ज्वेलर्स संचालक से 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक को रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए पकड़ लिया।

आवेदक जयराज चौधरी पिता भगवान चौधरी, संचालक डायमंड ज्वेलर्स, एमजी रोड सराफा बाजार, अंजड़, जिला बड़वानी ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि लगभग एक वर्ष पूर्व भारत बर्फा नामक व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

केस खत्म करने के नाम पर मांगी गई राशि

शिकायत के अनुसार उपनिरीक्षक महावीर सिंह चंदेल ने पूछताछ के दौरान कहा कि इस केस में परेशान नहीं किया है और केस खत्म कर देंगे। इसके बदले आरक्षक पवन प्रजापति के माध्यम से 50 हजार रुपए 'खर्चा पानी' के रूप में देने के लिए कहा गया। आरोप लगाया गया कि यदि रकम नहीं दी गई तो केस में उल्टा फंसा देने की बात कही गई।

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त एसपी इंदौर के निर्देश पर टीम ने मामले का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान शिकायत सही पाई गई। आवेदक ने आरक्षक पवन प्रजापति से संपर्क किया तो उसने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपए प्राप्त कर लिए। शेष राशि बाद में देने की बात तय हुई थी। इसके आधार पर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आरक्षक को पकड़ लिया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

इस मामले में सहायक उपनिरीक्षक महावीर सिंह चंदेल और आरक्षक पवन प्रजापति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 तथा बीएनएस 2023 की धारा 61(2) के तहत लोकायुक्त पुलिस में प्रथम सूचना





रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की विवेचना जारी है।

कार्रवाई महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देशों के तहत की गई। ट्रैप दल में उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर सुनील तालान, आरक्षक विजय कुमार, आशीष नायडू, रामेश्वर निंगवाल, कमलेश परिहार, आदित्य भदौरिया शामिल रहे।

मन्नत के मेले 'बारगुनिया मेलादा' में उमड़ा आस्था का सैलाब: अंगारों पर चलकर पूरी की मन्नतें

जनोदय पंच। सेंधवा/बड़वानी।

आदिवासी समाज की गौरवशाली संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक 'बारगुनिया मेलादा' आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के इस अंतिम और ऐतिहासिक मेले में आस्था का वह स्वरूप देखने को मिला, जहाँ मन्नतधारी नंगे पैर दहकते अंगारों (चूल) पर चलकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु पूरे संयम के साथ नियमों का पालन करते हैं, वे चूल चलकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं।

इस अवसर पर बारगुनिया में सिरपुर, तोरणमाल, खंडवा और खरगोन सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से आदिवासी समाज के युवा, युवतियां और बुजुर्ग भारी संख्या में सम्मिलित हुए। मेले में 1.5 लाख से अधिक जनसैलाब उमड़ा, जिससे पूरा क्षेत्र आदिवासी लोक संस्कृति के रंग में रंग गया।

राहुल सोलंकी के नेतृत्व में गूंजे ढोल-मांदल

मेले के मुख्य आकर्षण में मध्य प्रदेश विकास परिषद के युवा प्रभाग के जिला अध्यक्ष राहुल सोलंकी अपनी टीम के साथ विशेष रूप से शामिल हुए। राहुल सोलंकी ने आदिवासी सांस्कृतिक वाद्य यंत्र ढोल और मांदल की थाप पर समाज के युवाओं के साथ नृत्य कर उत्साह बढ़ाया। इस दौरान 51 ढोल-मांदल की गूंज ने मेले के वातावरण को और भी भव्य बना दिया।

समाज के बीच बांटी खुशियां

जिला अध्यक्ष राहुल सोलंकी ने मेले में उपस्थित समाजजनों से आत्मीय मुलाकात की और एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशियां



बांटी। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को मेलादे की बधाई देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति और परंपराएं ही हमारी असली पहचान हैं, जिन्हें सहेजना हम सभी का कर्तव्य है। मेले में आदिवासी वेशभूषा, पारंपरिक आभूषण और सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों के साथ समाज की एकता और अखंडता का अनूठा संगम देखने को मिला।



